रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05032020-216114
CG-DL-E-05032020-216114

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 51] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 11, 2020/माघ 22, 1941
No. 51] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 11, 2020/MAGHA 22, 1941

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2020

सं.-एन-12/13/1/2019-यो.एवं वि.–कर्मचारी राज्य बीमा विनियमावली (सामान्य), 1950 में आगे संशोधन हेतु निम्नलिखित प्रारूप विनियमावली को जिसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियिम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करता है, उससे प्रभावित हो सकने वाले सभी व्यक्तियों के सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि सरकारी राजपत्र जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाएगी, जनता को उपलब्ध होने की तिथि से तीस दिनों की अवधि समाप्त होने के पश्चात, उक्त प्रारूप विनियमावली पर विचार किया जाएगा :-

1. उक्त प्रारूप विनियमावली के संबंध में किसी व्यक्ति से उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्ति अथवा सुझाव प्राप्त होता है तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा उस पर विचार किया जाएगा।
2. यदि कोई आपत्ति तथा सुझाव हों, तो श्री ए.के.सिन्हा, बीमा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पंचदीप भवन, सी.आइ.जी.मार्ग, नई दिल्ली-110002 को संबोधित किया जाए। (ई-मेल-dir-pnd@esic.nic.in)

प्रारूप विनियमावली

1. ये विनियम कर्मचारी राज्य बीमा संशोधित (सामान्य) विनियम, 2020 कहे जाएंगे।

2. वे अंतिम अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

3. कर्मचारी राज्य बीमा निगम (सामान्य) विनियम, 1950 में ; विद्यमान विनियम 10 क के उप-खंडों में संशोधन निम्नानुसार होंगे :-

(I) विनियम 10क(1) में, निम्नानुसार प्रतिस्थापित होगा :-

1) प्रत्येक अधिसूचित जिले में ऐसे क्षेत्रों के लिए, जिसे उपयुक्त समझा जाए, स्थानीय समिति स्थापित की जाए तथा इसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :-

क. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक द्वारा नामित अध्यक्ष।

ख. राज्य सरकार द्वारा राज्य के एक अधिकारी को नामित किया जाए।

ग. कर्मचारियों के छह प्रतिनिधि, जिनमें से (i) ऐसे क्षेत्र के सर्वाधिक योगदान देने वाले दो कर्मचारी (ii) क्षेत्र के कर्मचारियों के 2 प्रतिनिधि, जो कर्मचारियों के संगठन का प्रतिनिधित्व करते हों (iii) क.रा.बी. पंजीकृत लघु, मध्यम और सूक्ष्म उद्योग स्थापनाओं से दो कर्मचारी जिन्हें राज्य/संघ क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक द्वारा नामित किया जाए।

घ. नियोक्ताओं के छह प्रतिनिधि, जिनमें से (i) दो नियोक्ता, जो गत तीन वर्षों के दौरान सर्वाधिक योगदान देने वाले हों, (ii) दो नियोक्ता लघु, मध्यम और सूक्ष्म उद्योग वर्ग की पंजीकृत क.रा.बी. स्थापनाओं से (iii) क्षेत्र में नियोक्ता/उद्योग संघ का प्रतिनिधित्व करते हुए दो नियोक्ता जिन्हें राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक द्वारा नामित किया जाए।

ङ. जिस जिले के लिए समिति का गठन होता है उसका प्रभारी अधिकारी, पदेन सदस्य सचिव के रूप में:

परंतु, जहां क्षेत्रीय बोर्ड के अध्यक्ष के विचार से आवश्यक प्रतीत हो तो वह नियोक्ताओं और कर्मचारियों के प्रत्येक के दो-दो अतिरिक्त प्रतिनिधियों को नामजद कर सकता है, इस उद्देश्य से कि राज्य सरकार द्वारा नामांकितों में महत्वपूर्ण संगठनों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है तथा इस उद्देश्य से भी कि नियोक्ताओं और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों में संतुलन बनाए रखा जा सके:

पुनः किसी क्षेत्र में पेनल-सिस्टेम के आधार पर चिकित्सा सेवाएँ उपलब्ध करवाई जा रही हैं, तो स्थानीय बीमा चिकित्सा व्यवसायियों के एक प्रतिनिधि को स्थानीय समिति शामिल कर सकेगी।

(II) विनियम 10क(2) में, उप-खंड(i) और (ii) निम्नानुसार प्रतिस्थापित किए जाएंगे :-

(2) (i) उप-विनियम (1) के खंड (ग) और (घ) के अंतर्गत नामांकित स्थानीय समिति के सदस्यों का पद धारण तीन वर्ष होगा जो कि क्षेत्रीय निदेशक द्वारा उनके नामांकन को अधिसूचित करने की तिथि से प्रारंभ होगा बशर्ते ये सदस्य किसी बात के होते हुए भी उक्त अवधि की समाप्ति पर, अपने उत्तराधिकारी का नामांकन अधिसूचित होने तक पद धारण करेंगे।

(2) (ii) उप-विनियम 1 के खंड (क) और (ख) के अंतर्गत नामांकित स्थानीय समिति के सदस्य उन्हें नामांकित करने वाले प्राधिकारी के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेंगे।

(III) विनियम 10क(3) में, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएंगे :-

(3) स्थानीय समिति के सदस्य क्षेत्रीय निदेशक को लिखित में नोटिस द्वारा अपने कार्यालय से त्यागपत्र दे सकते हैं तथा त्यागपत्र स्वीकार होने पर उनका पद रिक्त हो जाएगा।

(IV) विनियम 10क(4) में, उप-खंड(i) और (ii) निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

(4) (i) स्थानीय समिति के किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाएगी यदि वह समिति की बैठकों में लगातार तीन अवसरों में उपस्थित होने में असफल रहता है बशर्ते क्षेत्रीय निदेशक सदस्यता की बहाली कर सकते हैं यदि वह संतुष्ट हों कि अनुपस्थिति अपरिहार्य कारणों से हुई है।

(ii) जहां क्षेत्रीय निदेशक के विचार में स्थायी समिति में नियोक्ताओं या कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित किसी व्यक्ति ने ऐसे नियोक्ताओं या कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करना बंद कर दिया है, क्षेत्रीय निदेशक यह घोषणा कर सकते हैं कि उनके द्वारा विनिर्दिष्ट तारीख से ऐसे व्यक्ति की सदस्यता समाप्त की जाती है।

(V) विनियम 10क(9) में, उप-खंड(ख) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

(9)(ख) ऐसी शिकायतें, जो संबंधित क्षेत्रीय निदेशक द्वारा आवश्यक समझी जाएं, अथवा चिकित्सा हितलाभ के संबंध में हों, को राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार के ऐसे प्राधिकारी को संदर्भित किया जाए।

ए. के. सिन्हा, बीमा आयुक्त

[विज्ञापन-III/4/असा./441/19]

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th January, 2020

No. N-12/13/01/2019-P&D.–The following draft Regulations further to amend the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, which the Employees' State Insurance Corporation proposes to make in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of Section 97 of the Employees' State Insurance Act,1948 (34 of 1948), is hereby published for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft Regulations will be taken into consideration after expiry of a period of Thirty days from the date on which copies of the Official Gazette in which this notification is published, are made available to the public:-

1. Any objection or suggestion, which may be received from any person in respect of the said draft Regulations within the period specified above, will be considered by the Employees' State Insurance Corporation.
2. The objections and suggestions, if any, may be addressed to Shri A. K. Sinha, Insurance Commissioner, Employees' State Insurance Corporation, Panchdeep Bhawan, C.I.G. Marg, New Delhi-110002 (e-mail: dir-pnd@esic.nic.in)

DRAFT REGULATIONS

1. These Regulations may be called Employees' State Insurance (General) Amendment Regulations, 2020.
2. They shall come into force from the date of publication of final notification.
3. In the Employees' State Insurance (General) Regulation, 1950;

   The Sub-clauses of the existing Regulation 10A shall be amended as below:-

(I) In Regulation 10A(1), shall be substituted as below:-

(1) A Local Committee may be set up in each notified District for such areas as may be considered appropriate and shall consist of the following members namely: -

(a) A Chairperson to be nominated by Regional Director of the State/Union Territory.

(b) An official of the State to be nominated by the State Government.

(c) Six representatives of employees, out of which (i) two longest contributing employees of such area, (ii) two representatives of employees in the area, representing organizations of employees and (iii) two employees from ESI registered MSME establishments, to be nominated by Regional Director of the State/Union Territory.

(d) Six Representative of the Employers out of which (i) two employers who are contributing the highest value during last three years; (ii) two employers from ESI registered establishments of

MSME category and (iii) two employers representing employers/industry association in the area to be nominated by the Regional Director of State/Union Territory.

(e) The Officer In-charge of such District for which the committee is constituted, as ex-officio Member Secretary :

Provided that where the Chairman, Regional Board, so considers it to be expedient, he may nominate such additional representatives of employers and employees, not exceeding two from each side, with a view to providing for the adequate representation of important organisations not included in the nominations of the State Government and to maintaining the parity between the number of representatives of such employers and employees:

Provided further that in any area in which medical care is provided through a panel system, a local committee may co-opt a member representing the local Insurance Medical Practitioners.

(II) In Regulation 10 A(2), the sub clause (i) and (ii) shall be substituted as below:-

(2)(i) The term of office of the members of local committee nominated under clause (c) and (d) of sub – regulation (1) shall be three years commencing from the date on which their nomination is notified by Regional Director, provided that such members shall notwithstanding the expiry of the said period, continue to hold office until the nomination of their successor is notified.

(2)(ii) The members of a local committee nominated under clauses (a) and (b) of sub regulation 1 shall hold office during the pleasure of the authority nominating them.

(III) In Regulation 10 A (3), the following shall be substituted:-

(3) A member of a local committee may resign his office by notice in writing to the Regional Director, and his seat shall fall vacant on the acceptance of the resignation.

(IV) In Regulation 10A (4), the sub clause (i) and (ii) shall be substituted as below:-

(4)(i) A member of local committee shall cease to be a member of the committee if he fails to attend three consecutive meetings thereof provided that his membership may be restored by the Regional Director, on being satisfied as to the unavoidable nature of the circumstances which led to his non-attendance.

(ii) Where in the opinion of the Regional Director any person nominated to represent employers or employees on a local committee has ceased to represent such employers or employees, the Regional Director, may declare that such person shall cease to be a member thereof with effect from such date as may be specified by him.

(V) In Regulation 10A(9), the sub clause (b) shall be substituted as below:-

(9)(b) To refer such complaints as it may consider necessary to the Regional Director concerned, or in the case of complaint concerning medical benefit, to the State Government or such authority of the State Government.

A. K. SINHA, Insurance Commissioner

[ADVT.-III/4/Exty./441/19]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.03.05 16:46:40 +05'30'